राजस्थान- सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/भू0अ0/एल.आर.सी./प-68/03/ 7989 - 8020 दिनांक 18.10.2003

जिला कलेक्टर (भू0अ0), समस्त
राजस्थान

विषय:- एल.आर.सी. योजना के सम्बन्ध में दिनांक 16 -17 सितम्बर 2003 को प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग राज0 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के सम्बंध में ।

------xxxxxx------

महोदय,

विषयान्तर्गत दिनांक 16-17 दिसम्बर 2003 को एल.आर.सी. योजना के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1 सरकार के ये ध्यान में लाया गया कि कतिपय जिलों में प्रशिक्षित पटवारिओं / कार्मिकों को खाता केन्द्र से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है इससे एल.आर.सी. का कार्य विपरित रूप से प्रभावित हो रहा है अतः प्रशिक्षित कार्मिकों को दो वर्ष पूर्व खाता केन्द्रों से किसी भी सूरत में स्थानान्तरित नहीं किया जावें इसकी कठोरता से पालना की जावें तथा इस अवधि में अन्य पटवारियों / कार्मिकों को प्रशिक्षित कर लिया जावे ताकि प्रशिक्षित स्टाफ खाता केन्द्रों पर ही पद स्थापित रहें.

2 <u>तहसील से जिला स्तर की कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में</u> :- तहसील के डेटा को म्यूटेशन के जरीयें प्रति माह आवश्यक रूप से अपडेट किया जावें । यह अपडेटेड डेटा जिला स्तर पर भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें इस हेतु आवश्यक है कि तहसील से जिला स्तर की कनेक्टीविटी बनी रहें । इस हेतु तहसीलों में वर्तमान में उपलब्ध टेलीफोन का ही प्रयोग किया जाना है ।

3 <u>ए.एम.सी. के सम्बन्ध में</u> (अ):- भू0अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन योजना में उपकरणों की एक कम्पोजिट ए.एम.सी. जिला स्तर से ही करायी जावें । (कतिपय जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों को यह कार्य सौंप दिया गया है जो राजस्व (ग्रुप-2) विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक : प-7(24) राज/2/96 पार्ट-5 दिनांक 24.01.03 में दिये गये निर्देशों के विपरित है ।)

(ब) तहसीलों में स्थापित हार्डवेयर की ए.एम.सी. करने का कार्य चालू वित्तिय वर्ष के लिए 30.10.03 तथा आगामी वर्षो में प्रत्येक वर्ष कि ए.एम.सी. का कार्य 30 अप्रैल तक आवश्यक रूप से सम्पादित कर लिया जावें ।

4 जिन तहसीलों को क्रियाशील किया जा चुका है उनमें चौशाला जमाबन्दीयां कम्प्यूटराईज्ड ही तैयार की जावें । इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मण्डल द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है इसकी कठोरता से पालना की जावें ।

5 <u>स्वीकृत शुदा नामान्तरकरणों को कम्प्यूटर में दर्ज करने बाबत</u> :- दिनांक 31.08.2003 तक के स्वीकृत शुदा समस्त नामान्तरण करणों की दिनांक

..... 2

31.10.2003 तक आवश्यक रूप से कम्प्यूटर में फीड कर लिया जावें । तथा मण्डल को दिनांक 01.11.2003 को ई-मेल /फैक्स के द्वारा इसकी पालना से आवश्यक रूप से सूचित किया जावें ताकि पालना रिपोर्ट से राज्य सरकार को यथा समय सूचित किया जा सकें ।

भवदीय

निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांकः 18/10/03

क्रमांकः राम/सम/ 8021-24

प्रतिलिपिः-

1. उप-शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं S I O , N I C, राजस्थान राज्य ईकाई कमरा न. 318 उत्तर पश्चिम खण्ड सचिवालय , जयपुर ।
3. अतिरिक्त निबन्धक (बिल एवं लेखा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
4. ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

उप-निबन्धक (मु0अ0)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर